

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(Exp.II Division)

F2(1)FD/Exp-2/2027-28

Dated-29-09-2026

BFC Meeting Notice (Other than Schemes)

Programme for the BFC Meeting for finalisation of Budget Estimates 2027-28 and Revised Estimates 2026-27 for other than schemes (1st part) for following departments to be held in the chamber of the Joint Secretary Finance (Exp.II) Department at Secretariat in Room No. 5036 (14), Ground Floor, Gate No. 2, Main Building as per given here under. The Budget Estimates 2027-28 and Revised Estimates for 2026-27 should be prepared in accordance with the detail guidelines circulated by the Finance (Budget) Department vide Budget Preparation, Management and Uses circular No.F.4(84)FD-1(1)Budget/2026 dated 15th September, 2026 and Green Budget circular No. F.4(20)FD-1(1)Budget/2024 dated 02nd Sept. 2024 :-

S. No.	Administrative Department Name (Code)	Budget Controlling Officer Name (Code)	BFC Meeting		BFC Unit/Institution Name (Code)
			Date	Time	
1.	School Education (15)	Director Literacy and Continuing (99)	21-10-2026	10.30 AM	Literacy and Continuing Education (03)
2.	School Education (15)	Presiding Officer, Raj. Non Govt. Education Institutions Tribunal (113)	21-10-2026	12.30 PM	Rajasthan Non-Govt. Education Institutions Tribunal (184)
3.	School Education (15)	Director, Bhasha & Library (85)	21-10-2026	02.30 PM	Bhasha & Library Department (17)
4.	Higher Education (26)	Dy. Director General National Cadet Corps, Rajasthan, Jaipur (22)	21-10-2026	04.30 PM	NCC, Department (8)
5.	Higher Education (26)	Commissioner, College Education, Rajasthan, Jaipur (6)	22-10-2026	10.30 AM	College Education Department, Jaipur (7)
6.	Sanskrit Education (15)	Director, Sanskrit Education, Jaipur (96)	22-10-2026	02.30 PM	Sanskrit Education Department (11)
7.	Social Justice & Empowerment (59)	Director, SJED (19)	23-10-2026	10.30 AM	SJED Department (43)
8.	Social Justice & Empowerment (59)	Director, Special Abled (182)	23-10-2026	12.30 PM	(a) Commissioner, Disabilities (b) Director Special Abled (244)
9.	Devasthan (12)	Commissioner, Devasthan, Udaipur (11)	23-10-2026	02.30 PM	Devasthan Department (48)
10.	Art & Culture (04)	Director Archives	23-10-2026	04.30 PM	Archives Department, Bikaner (186)
11.	School Education (15)	Director, Elementary Education, Bikaner (84)	26-10-2026	10.30 AM	Elementary Education, Department, Bikaner (29)
12.	School Education (15)	Director Secondary Education, Bikaner (88)	27-10-2026	10.30 AM	Secondary Education, Department, Bikaner (13)
13.	Minority Affairs (71)	Director, Minority Affairs (64)	28-10-2026	10.30 AM	Minority Affairs Department (58)
14.	Minority Affairs (71)	Director, Minority Affairs (64)	28-10-2026	12.30 PM	State Huj Committee (205)
15.	Minority Affairs (71)	Presiding Officer, Waqf Tribunal, Jaipur (174)	28-10-2026	03.30 PM	Waqf Tribunal (203)

S. No.	Administrative Department Name (Code)	Budget Controlling Officer Name (Code)	BFC Meeting		BFC Unit/Institution Name (Code)
			Date	Time	
16.	Transport and Road Safety (64)	Commissioner, Transport & Road Safety Department (12)	29-10-2026	10.30 AM	1. Transport & Road Safety Department (44) 2. Member Rajasthan Transport Authority (44)
17.	Transport and Road Safety (64)	Member, State Transport Appellate Tribunal, Jaipur (168)	29-10-2026	12.30 PM	State Transport Appellate Tribunal (212)
18.	Environment (18)	Principal Secretary, Environment	29-10-2026	02.30 PM	Environment Department, Jaipur (67)
19.	Industries (58)	Commissioner, Industries (4)	30-10-2026	10.30 AM	Industries & Commerce Department (183)
20.	State Enterprises (61)	DS, State Enterprises (41)	30-10-2026	03.30 PM	State Enterprises Department (41)
21.	Forest (23)	Principal Chief Conservator of Forest, Forest Department, Jaipur	02-11-2026	10.30 AM	Forest Department, Jaipur (65)
21A	Forest (23)	-do-	03-11-2026	10.30 AM	-do-
22.	Tourism (63)	Commissioner, Tourism	04-11-2026	10.30 AM	Tourism Department (111)
23.	Technical Education (62)	Director, Technical Education, Jodhpur (77)	04-11-2026	02.30 PM	Technical Education, Department, Jodhpur (15)
24.	Art & Culture (04)	Director, Archeology & Museum	05-11-2026	10.30 AM	Archaeology & Museum Department, JPR (185)
25.	Art & Culture (04)	Director, APRI	05-11-2026	02.30 PM	APRI Tonk (95)
26.	Art & Culture (04)	Joint Secretary Art & Culture	05-11-2026	04.30 PM	Oriental Research Institute (ORI), Jodhpur (98)

Programme for II Part of the BFC (Schemes – State Fund and Central Assistance) shall be intimated separately.

Notes:-

- वित्तीय प्रबंधन एवं प्रक्रियाओं हेतु वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही बजट अनुमानों को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। बजट नियंत्रण अधिकारियों से यह अपेक्षा है कि बजट अनुमानों का विश्लेषण एवं प्रेषण बजट घोषणा, जन घोषणा, प्रतिबद्ध दायित्वों, योजनान्तर्गत आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए करावें। आय-व्ययक अनुमान 2027-28 तैयार करते समय गतवर्षों की बजट घोषणाओं की प्रतिबद्ध देयताओं (Committed Liabilities) हेतु आवश्यक प्रावधान प्रस्तावित करना सुनिश्चित किया जावे।
- बजट निर्णायक समिति के प्रस्ताव वर्ष 2027-28 के लिए निर्धारित 2 प्रपत्रों (i) BFC Reports (ii) BFC Formats में प्रस्तुत करावे तथा वर्ष 2027-28 से नवीन अनुदान की मांग भी बजट परिपत्र के परिशिष्ट-VII के अनुसार प्रस्तुत करावे। समस्त विभागों द्वारा राजस्व मद के समस्त बजट शीर्षों की समीक्षा की जावें। यदि कोई व्यय पूंजीगत प्रकृति का है तथा उसका प्रावधान वर्तमान में राजस्व मद में किया जा रहा है तो उसका प्रावधान पूंजीगत मद/पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन के अन्तर्गत करवाया जाना सुनिश्चित किया जावें। यदि कोई व्यय राजस्व (Revenue) प्रकृति का है तथा उसका प्रावधान वर्तमान में पूंजीगत मद में किया जा रहा है तो उसका प्रावधान राजस्व मद के अन्तर्गत करवाया जावे।
- कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) जयपुर द्वारा परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2026-27 की समीक्षा के दौरान पाई गई कमी/विसंगति विभिन्न पूंजीगत शीर्षों में विस्तृत शीर्ष 17-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत रु 5.00 करोड से कम का बजट प्रावधान कराया जाने में सुधार करने हेतु अनुरोध किया गया है। पूंजीगत शीर्षों में विस्तृत शीर्ष 17- वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत नियमानुसार रु 5.00 करोड से अधिक के कार्यों के लिए बजट प्रावधान कराया जाना है। राशि रुपये 5.00 करोड से कम के कार्यों के लिए प्रावधान विस्तृत शीर्ष 16 लघु निर्माण कार्य में कराया सुनिश्चित किया जावे।

4. चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक के व्यय (Booked Expenditure) सिस्टम पर दर्ज बकाया बिल (Outstanding Uploaded Bills) एवं शेष अवधि के लिए अनुमानित व्यय के आधार पर ही संशोधित अनुमान 2026-2027 के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावें।
5. बजट प्रावधानों में जो राशि जिस उद्देश्य के लिए विहित है, उसका उपयोग विहित उद्देश्यों के अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
6. जिन बजट मदों में गत तीन वर्षों से व्यय नहीं हो रहा है, उनकी समीक्षा कर यदि आगामी वर्ष में भी व्यय होने की सम्भावना नहीं हो तो उनमें कोई प्रावधान प्रस्तावित नहीं किया जावे। यदि नवीन बजट शीर्ष के सृजन की आवश्यकता हो तो औचित्यता सहित प्रस्ताव प्रेषित किये जायें।
7. समस्त विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि आय एवं व्यय के अनुमानों का समुचित तरीके से वास्तविक आंकलन कर प्रावधान प्रस्तुत किये जावे। अनावश्यक व्यय एवं एकमुश्त प्रावधान के प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये जावे। जिन मापदण्डों के आधार पर व्यय के प्रस्ताव किये गये हैं, उन मापदण्डों को भी अवश्य अंकित किया जावे।
8. वित्तीय वर्ष के दौरान पदों के सृजन/विलोपन, मशीन विद मैन, किराये के वाहन, वाहन क्रय एवं कम्प्यूटर इत्यादि के प्रस्ताव विभाग द्वारा IFMS पर Online प्रस्तुत करने पर वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसार उसी समय वित्त (व्यय) विभाग के स्तर पर IFMS पर नवीनतम स्थिति अद्यतन की जावे।
9. भारत सरकार तथा सभी राज्य सरकारों के Object Heads के harmonization हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत निर्देश जारी किये गये हैं। इसी क्रम में राज्य बजट में वित्तीय वर्ष 2028-29 से नवीन Object Heads Codes लागू किये जाने हेतु IFMS में आवश्यक Technical Modification को मार्च, 2027 तक पूर्ण किया जाकर वित्त विभाग के समक्ष प्रस्तुतीकरण (डेमो) दिया जायेगा तथा प्रक्रिया के अन्तर्गत change management हेतु NIC द्वारा समस्त स्टेकहोल्डर्स को वर्तमान एवं नवीन Object Heads में संशयों को दूर करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण जून 2027, तक कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2028-29 के प्रस्तावित नवीन Object Heads की वर्तमान में प्रचलित Object Heads से मैपिंग की सूची परिशिष्ट IX (पृष्ठ 25) पर सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध है।
10. बजट अनुमान वर्ष 2027-28 की बी.एफ.सी. में सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अपने नियंत्रणाधीन योजनाओं की समीक्षा कर जलवायु/पर्यावरण प्रबन्धन संबंधी गतिविधियों हेतु प्रस्तावित व्यय को चिन्हित किया जायेगा तथा इसकी सूचना ग्रीन बजट हेतु बीएफसी के निर्धारित प्रपत्र संख्या-6 में प्रस्तुत की जायेगी। ग्रीन बजट में सम्मिलित योजनाओं / कार्यक्रमों में ग्रीन बजट के लिए प्रस्तावित प्रावधान का प्रतिशत अंकित किया जायेगा। ग्रीन बजट खण्ड 4-ब में प्रदर्शित किया जायेगा।
11. जेण्डर बजट (Gender Budget) :- वित्त (आय-व्यय) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 08.11.2012 एवं 18.9.2018 के अनुसार संबंधित विभागों द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए प्रस्तावित राशि तथा प्रतिशत के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर निर्धारित प्रपत्र-4 (अ) में ऑनलाईन प्रविष्टि की जानी है।
12. चाईल्ड बजट (Child Budget) :- वित्त (आय-व्यय) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 06.09.2019 के अनुसार राज्य में संचालित योजनाओं/ कार्यक्रमों का चाईल्ड आधारित विश्लेषण किये जाने हेतु 18 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण तथा विकास से संबंधित योजनाओं को चिन्हित कर इन चिन्हित योजनाओं में किये गये प्रावधानों की प्रपत्र-4 (ब) में ऑनलाईन प्रविष्टि की जानी है।

13. यूथ बजट (Youth Budget) विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में प्रदेश के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए राज्य बजट में विभागों द्वारा रोजगार, शैक्षिक / तकनीकी ज्ञान, कौशल उन्नयन तथा युवा कल्याण के साथ युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित विभिन्न गतिविधियों / कार्यकलापों के लिए बजट प्रावधान रखवाये जाने हैं। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2027-28 के समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित राशि तथा प्रतिशत के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर यूथ बजट के लिए निर्धारित प्रपत्र-11 में ऑनलाईन प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जावे।
14. It is specifically requested that the concerned Budget Controlling Officer and the concerned Joint Secretary/Deputy Secretary of the Department should necessarily make it convenient to attend the BFC Meeting on scheduled date/time with complete proposals & relevant information.
15. Department is requested to submit following information: -
(i) Year wise / post wise appointment of previous four years.
(ii) Retirement of Employees.
(a) Oct. 2026 to March 2027
(b) April 2027 to March 2028.
16. It is also requested that the information may kindly be furnished as below:-
(i) All the Budget proposals of expenditure, in the formats enclosed with the above referred Budget circular dated 15th September 2026 are to be submitted online through the Integrated Financial Management System (IFMS), at least 7 days before the scheduled date of BFC meeting. In case any difficulty in online submission of the information, please contact at Help Desk – (0141-2924501) as mentioned in the Budget Circular.
- All the departments are requested to ensure submission of the online information in time.
- (ii) The departments / concerned Controlling Officers are also requested to send the Hard Copy of following before 7 days of the time of BFC meeting:-
(a) The Budget proposals, already forwarded by the Administrative Department online.
(b) The latest position of object head wise expenditure incurred and proposal for RE 2026-27 and BE 2027-28 with full justification and Budget Note.
(c) The compliance of the last BFC decisions.
(d) The details of sanctions issued under budget head 8674 and adjustments made under Rule 266 of GF&AR.
(e) Two sets of annual administrative reports.
(f) The details of expenditure incurred, if any, from other than State Budget.
(g) Details of Computer Machine with Man against vacant posts and other than vacant posts. Total number of Computer Machine with Man should tally with the total number of MWM Mentioned in Proforma-3 (BFC Reports) of Budget Circular.

17. Any proposal for change in the BFC meeting schedule may not be made as it would affect BFC meetings of other departments.



(Pratap Singh)
Joint Secretary, Finance (Exp-II)
Tel No. 0141- 2227636

F.2(1)FD/Exp.2/2027-28

Date-29-09-2026

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- (1) ACS to Hon'ble C.M.
- (2) S.A to Hon'ble DY. C.M.(F.M.)
- (3) DS to Principal Secretary, (Finance)/ Secretary (Revenue/ Budget/ Expenditure), Finance Department.
- (4) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary/ Special Secretary/Joint Secretary/ Deputy Secretary, _____ Deptt.
- (5) The Head of Department _____

- (6) Director, FD (Budget) Department Government Secretariat, Jaipur.
- (7) System Analyst (Joint Director), FD, Budget [Computer Cell] for uploading on Finance Website.
- (8) Technical Director, NIC, Jaipur.
- (9) Guard File.



Joint Secretary, FD (Exp-II)